जिले/गांव तक पहुंचती हैं। बहरहाल, यह पाया गया कि संसाधन देश में थोड़े स्तर पर फैले हैं। इसलिए, चुनिन्दा पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी थी, जे०आर०वाई० को सघन किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 120 चुनिन्दा पिछड़े जिलों में सघन जे०आर०वाई० आरम्भ की गई थी जिसमें इन जिलों को दी जाने वाली निधियों में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। आई०जे०आर०वाई० के तहत पहचान किए गए इन 120 पिछड़े जिलों में से 17 जिले मय प्रदेश में हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि के लीन मौसम के दौरान सभी समर्थ व्यक्तियों को, जो काम की तलाश में और कार्य करना चाहते थे, सौ दिन के कैजुअल मैनुअल कार्य का निश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2.10.93 से ई०ए०एस० 1752 सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर०पी०डी०एस०) ब्लॉकों में आरम्भ की गई थी। अब ई०ए०एस० देश के 2475 ब्लाकों में चल रही है। मध्य प्रदेश में ई०ए०एस० के तहत शामिल किए गए ब्लॉकों की कुल संख्या 297 है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, हां। आई०आर०डी०पी० के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की इस शर्त के साथ रक्षा की जाती है कि कम से कम 50% लाभग्राही परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने चाहिएं। प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत आई०जे०आर०वाई० और ई०ए०एस० में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने पर फोकस किया गया। आई०जे०आर०वाई० के तहत शामिल किए गए सभी 17 जिले जनजातीय जिले हैं। ई०ए०एस० के तहत शामिल किए गए 297 ब्लॉकों में से 174 ब्लॉक मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

Estimated Savings/Earnings by India after joining WTO

*107. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the estimated amount of earnings or savings India is expected to make in terms of remittances in the first year after joining the World Trade Organisation allowing free movement of professionals and opening of banking and financial service sectors; and

(b) the item-wise details of such earnings and savings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Agreement of Financial Services and Movement of Natural Persons for India provides a frame work for Trade in Services in these sectors. Precise gains in terms of earnings will depend on a number of other factors and cannot be quantified. It is Government's overall assessment that the improved rules governing international trade and the market access opportunities created by the Uruguay Round in the areas of goods and services would on the whole be advantageous to us in increasing our exports.

देश में कोयला खानों की संख्या

*108. श्री रामजीलाल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खानों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिनका निजीकरण कर दिया गया है;

(ख) इस वर्ष तथा विगत वर्षों में इन कोयला खानों से "ए", "बी" और "सी" ग्रेड का कुल कितना कोयला निकाला गया है;

(ग) सरकार तापीय तथा अन्य विद्युत परियोजनाओं को "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के कोयले का आवंटन किस प्रकार करती है;

(घ) क्या यह सच है कि तापीय परियोजनाओं को कोयले की घटिया किस्म की सप्लाई होने के कारण कम विद्युत उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) देश में कुल 598 कोलियरियां विद्यमान हैं, जिसमें से 8 निजी क्षेत्र के अधीन हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) सामान्यतः तापीय विद्युत परियोजना को "ए",

"बी" तथा "सी" ग्रेड के कोयले का आवंटन नहीं किया जाता है, केवल पुरानी यूनिटों को छोड़कर, जिन्हें कि इन ग्रेड के कोयलों को प्रयोग में लाए जाने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की कोलियरियों से उत्खनित किए गए "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के कोयले की कुल मात्रा को तथा चालू वर्ष के प्रथम तिमाही के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयले का ग्रेड (अ-कोकिंग)		
	"ए"	"बी"	"सी"
1992-93	4.49	22.15	48.46
1993-94	4.30	21.44	47.25
1994-95	4.15	20.50	46.98
1995-96 (प्रथम तिमाही)	0.85	4.65	10.40

Disputes between Construction Companies and Consumers

*109. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with the coming up of a large number of private construction companies the number of disputes between a builder and a consumer have also gone up;

(b) whether it is also a fact that in the absence of any regulatory agency, the consumers are at the mercy of private builders; and

(c) if so, whether Government propose to protect the interests of consumers in case of disputes?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) To protect the interest of consumers, Government has enacted the Consumer Protection Act, 1986. The Act applies to all services which are rendered for a consideration whether by Government, public sector, cooperative, joint or private sectors. Consumer Protection Act as amended in 1993, specifically included housing construction activities within its purview. For redressal of consumer disputes three tier redressal agencies have been set up under the Act, namely, District Fora, State Commission and National Commission. The aggrieved consumers of all categories including those affected by private builders may file their complaints to the appropriate agency for redressal.

Panel of Lawyers and Counsels in Super Bazar

*110. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Super Bazar have a panel of lawyers and senior counsels to deal with its cases apart from its Law Officers;

(b) if so, the details thereof with schedule of fees for each such advocate; and

(c) the number of cases that been handled by such advocates during the last three years as against its own Law Officers?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) Super Bazar has retained the services of three lawyers to deal with its cases as per the following details: